न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 112 / 2019

अनिल कुमार पुत्र अमरलाल गांव भोंट फतेहपुर तहसील रूपवास

बनाम

उपखण्ड अधिकारी रूपवास ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 15.11.2019**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री अनिल कुमार पुत्र अमरलाल गांव भोंट फतेहपुर तहसील रूपवास ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 17..09.2019 को द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपवास से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 927 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपवास से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी रूपवास से उनके पत्र क्रमांक / 1534 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी रूपवास से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / 1534 दिनांक 07.11.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी रूपवास ने अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक / 253 दिनांक 28.09.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रूपवास को भी भेजी जावे।

(डॉ. जोगाराम)
जिला कलक्टर,
भरतपुर